# इकाई 24 कृषि श्रमिक और मजदूरी

**संरचना**


24.0 उद्देश्य

24.1 प्रस्तावना

24.2 कृषि श्रम की विशेषताएँ

- 24.2.1 रोजगार और आय में अनियमितता
- 24.2.2 गरीबी
- 24.2.3 असंगठित रोजगार
- 24.2.4 मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार

24.3 कृषि श्रम में प्रवृत्तियां

- 24.3.1 कृषि श्रमिकों/कामगारों की वृद्धि/प्रतिशत
- 24.3.2 सीमांत किसानों की बढ़ती हुई संख्या
- 24.3.3 आय/उपभोग व्यय में कमी

24.4 कृषि श्रमिक की आजीविका प्रस्थिति सुधारने के लिए कार्यक्रम

- 24.4.1 कृषि उन्मुख कार्यक्रम
- 24.4.2 स्वरोजगार कार्यक्रम
- 24.4.3 मजदूरी रोजगार कार्यक्रम
- 24.4.4 क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- 24.4.5 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
- 24.4.6 ग्यारहवीं योजना की पहलें
- 24.4.7 बारहवीं योजना का दृष्टिकोण

24.5 कृषि मजदूरियां : आंकड़ा स्रोत और प्रवृत्तियां

- 24.5.1 आंकड़ा स्रोत
- 24.5.2 कृषि मजदूरियों में प्रवृत्तियां

24.6 सारांश

24.7 शब्दावली

24.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

24.9 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत


## 24.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप

- भारत में कृषि श्रम की विशेषताओं की चर्चा कर सकेंगे;
- 1951-2010 की अवधि में कृषि श्रमिकों/कामगारों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर सकेंगे;

- भारत सरकार द्वारा भारत में कृषि श्रमिकों की आजीविका प्रस्थिति सुधारने के लिए प्रारंभ किए गए उपायों का विवेचन कर सकेंगे;
- ''कृषि मजदूरी'' पर आंकड़ों का स्रोत बता सकेंगे; और
- कृषि मजदूरियों में लिंग और कृषि बनाम कृषीत्तर सेक्टर के बीच उसकी असमानता पर फोकस के साथ प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर सकेंगे।

## 24.1 प्रस्तावना

भारत की जनगणना के अनुसार कृषि कामगारों का कुल ग्रामीण जनसंख्या से अनुपात 1951-2001 के पांच दशकों के लंबे समय तक कमोबेश स्थिर रहा है। (यह 1951 में 32.6 प्रतिशत और 2001 में 31.5 प्रतिशत था)। यद्यपि कुल जनसंख्या में कृषि कामगारों का अंश प्रतिशत इस अवधि में 20 प्रतिशत बिंदु तक नीचे आया, परंतु ''ग्रामीण जनसंख्या में कृषि कामगारों'' का अनुपात लगभग वैसा ही रहा। यह अनेक कारकों के गतिशील पारस्परिक प्रभाव के कारण है, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ शहरीकरण, कृषीत्तर रोजगार विस्तार की गति, कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त कृषीत्तर रोजगार का स्वरूप आदि। इस प्रकार यद्यपि अनुपात में दोनों कारकों ने परिवर्तन किया है परंतु (ग्रामीण आबादी से कृषि कामगारों का) अनुपात इसमें कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के बिना लगभग स्थिर रहा है।

जनगणना ''कृषि कामगारों'' को दो समूहों में वर्गीकृत करती है, अर्थात् (i) किसान और (ii) कृषि श्रमिक। आपने ''छोटे और सीमांत किसानों'' के बारे में इस पाठ्यक्रम की इकाई 2 (भाग 2.7) में पढ़ा है। स्मरण करें कि उन्हें 2 हेक्टेयर से कम भूमि के स्वामित्व के किसान के रूप में परिभाषित किया गया है (जिन किसानों के स्वामित्व में 0.4 से 1 हेक्टेयर भूमि है उन्हें सीमांत किसानों और जिनके स्वामित्व में 1 से 2 हेक्टेयर है, उन्हें छोटे किसान कहा गया है और जो मिलकर 2005-06 में भारत में प्रचालनात्मक भूमि जोतों के 83.3 प्रतिशत का संचालन कर रहे थे। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) (अन्य महत्त्वपूर्ण आंकड़ा स्रोत) ने भूमि जोत खंडों को पांच उपवर्गों में विभाजित किया है, अर्थात् (i) भूमिहीन किसान, जिनके पास 0.01 हेक्टेयर से कम भूमि है); (ii) उपसीमांत किसान (0.01 और 0.4 हेक्टेयर); (iii) सीमांत किसान (0.4 से 1 हेक्टेयर); (iv) छोटे किसान (1 से 2 हेक्टेयर) और मध्यम तथा बड़े किसान (2 हेक्टेयर से अधिक) वाले इसके अलावा NSSO ने पट्टा भूमि पर खेती करने वाले आसामी किसान को (भूमिहीन) किसान वर्गीकृत किया है। इन उपवर्गों को ध्यान में रखते हुए कृषि कामगारों पर आंकड़ा जनगणना की अपेक्षा NSSO द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में अधिक विभाजन उपलब्ध है।

इस इकाई के विश्लेषण क्षेत्र में किसानों के सभी उपवर्ग शामिल हैं ताकि किसानों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों में बदलती हुई प्रवृत्तियां की तुलना की जा सके। यद्यपि ''सीमांत और छोटे किसानों'' के पास कुछ भूमि होती है परंतु संस्थागत ऋण और दक्ष विपणन जैसी महत्त्वपूर्ण सेवा प्राप्त करने में उनकी कठिनाई के कारण उनकी दशा कम संकटपूर्ण नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए सीमांत और छोटे किसान बहुधा अपने जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी रोजगार पर निर्भर रहते हैं।

दोनों मिलकर वे ''कृषि कामगारों के 20 प्रतिशत से अधिक'' होते हैं। कृषि कामगारों/श्रमिकों को कैसे परिभाषित किया जाता है? उनकी संख्या कितनी है? और कालांतर में उनकी प्रस्थिति कैसे बदलती है? उनकी प्रस्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के बावजूद उनकी अवरुद्ध स्थिति में योगदान करने वाले विशिष्ट लक्षण क्या हैं? ये क्या उपाय हैं और किस सीमा तक उनकी आजीविका प्रस्थिति सुधारने में वे सहायक हुए हैं? ये विशिष्ट प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम इस इकाई में देने का प्रयास करेंगे।

## 24.2 कृषि श्रम की विशेषताएँ

भारत में कृषि श्रमिकों की पहचान NSSO द्वारा ''कृषि श्रमिक परिवारों'' के आधार पर की है। इसे ध्यान में रखते हुए कृषि श्रमिकों की कुल संख्या का अनुमान प्राप्त करने के लिए कृषि परिवारों में व्यक्तियों की औसत संख्या द्वारा गुणा कर आवश्यक होता है।

दूसरी ओर, जनगणना सीधे ''कृषि कामगारों'' और कृषि श्रमिकों की अनुमानित संख्या देती है। ''कृषि श्रमिक परिवार'' को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपनी आय का 50 प्रतिशत से अधिक कृषि से प्राप्त करते हैं। कृषि श्रमिकों/कामगारों के कुछ खास विशेषताएँ हैं जिनके कारण नीति/योजनाकारों को वर्ष के दौरान उनके कार्य दिवसों को बढ़ाने के लिए विशेष रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रम तैयार करना और क्रियान्वित करना होता है। इन विशेषताओं में रोजगार और आय की उपलब्धता के क्षेत्र शामिल होते हैं: रोजगार और आय की उपलब्धता, रोजगार की गुणवत्ता को निम्न बनाने वाला असंगठित स्वरूप, कृषि कामगारों में विद्यमान गरीबी का अत्यधिक प्रभाव (जो केवल उपर्युक्त दो कारकों की ही प्रतिछाया है), आदि।

### 24.2.1 रोजगार और आय में अनियमितता

कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था के लिए कृषीत्तर सेक्टरों में रोजगार के स्वरूप से कृषि में रोजगार के स्वरूप में विभेद करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति का अनुसरण करते हुए, NSSO ने रोजगार का आकलन करने के लिए तीन दृष्टिकोण विकसित किए हैं: अर्थात् सामान्य स्थिति दृष्टिकोण, वर्तमान प्रचलित साप्ताहिक प्रस्थिति दृष्टिकोण और वर्तमान प्रचलित दैनिक दृष्टिकोण। यद्यपि सामान्य प्रस्थिति दृष्टिकोण पर्याप्त स्थायी आधार पर कई एक वर्ष की अवधि के बड़े भाग में नियुक्त व्यक्ति की रोजगार अवस्था दर्शाता है। अन्य दो दृष्टिकोण ''सप्ताह में दिनों'' और ''दिन में घंटों'' के दौरान किए गए कार्यकलाप/कार्य की मात्रा पर फोकस कर कृषि में अल्परोजगार के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। जनगणना, 2011 द्वारा उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कृषि श्रमिक कुल कृषि कामगारों का 46 प्रतिशत है। इसके अलावा, NSSO के अनुसार 2004-05 में औसत कृषि श्रमिकों ने रु. 40.00 की औसत दैनिक मजदूरी, अर्थात् लगभग रु. 700.00 प्रति व्यक्ति की औसत मासिक आय से वर्ष में लगभग 209 दिन काम पाया था। किंतु गरीबी रेखा तो रु. 1800 प्रति माह थी। अतः एक कृषि परिवार के न्यूनतम 3 सदस्यों के लिए रोजगार पाना नितांत अनिवार्य था। वह भी वर्ष में कम-से-कम 200 दिनों का, ताकि ऐसे कृषि श्रमिक परिवार अपने आपको गरीबी की रेखा से ऊपर बनाए रखने में समर्थ हों। परंतु वास्तविकता

में, चूंकि बहुत से कृषि श्रमिक परिवारों को रोजगार के बहुत से दिनों से वंचित किया जाता है, इसलिए बहुत से कृषि परिवार गरीबी की रेखा से नीचे निर्वाह करते हैं। इस आयाम पर हम आगे चलकर विचार करेंगे।

### 24.2.2 गरीबी

2004-05 में राष्ट्रीय स्तर पर भारत में ग्रामीण गरीबी की घटनाएं शहरी जनसंख्या (25.7 प्रतिशत) की अपेक्षा अधिक (28.3 प्रतिशत) थी। विशेषकर ''सभी कृषि कामगारों'' के परिवारों का गरीबी अनुपात 31.1 प्रतिशत पर था। इसके अलावा, कृषि में लगे हुए ग्रामीण परिवारों में कृषि श्रमिक परिवारों का गरीबी अनुपात 46.4 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर था। विशेष रूप से, किसानों के लिए तद्नुरूपी अनुपात 21.5 प्रतिशत पर काफी कम था। परंतु कृषि परिवारों के गरीबी अनुपात में उच्चतर भूमि जोतों के साथ उत्तरोत्तर ह्रास हुआ। किसान के भूमिहीन होने के भिन्न-भिन्न वर्गों के गरीबी अनुपात का स्तर तद्नुरूपी 22 प्रतिशत था, इसमें उपसीमांत 20.2 प्रतिशत, सीमांत 18.1 प्रतिशत, छोटे 14.8 प्रतिशत और मध्यम तथा बड़े 9.8 प्रतिशत थे। इस प्रकार परिवारों की दोनों श्रेणियों (अर्थात् भूमिहीन और भूमिधारक) में यह अनुपात 15.2 प्रतिशत था। यह ''कृषि श्रमिक परिवारों'' के लिए तीन गुणा से भी अधिक था। इस प्रकार ''भूमि जोतों'' की सीमा उनके भूमि जोतों के आकार द्वारा परिभाषित किसानों के सभी वर्गों में गरीबी स्तर निर्धारित करने में मुख्य कारक था। इससे स्पष्ट है कि (खेती करने वाले किसानों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए) भूमि सुधार उपायों का प्रभावकारी क्रियान्वयन तथा खेती के लिए आवश्यक विस्तार सेवाओं सहित आदानों की आसान सुलभता सुकर बनाने के लिए नीति फोकस महत्त्वपूर्ण है।

### 24.2.3 असंगठित रोजगार

भारत में श्रम बल संकल्पनात्मक रूप से संगठित और असंगठित सेक्टर रोजगार में विभाजित किया गया है। संगठित का संबंध नियोक्ता द्वारा प्रदान किये गये कम से कम एक या अन्य सांविधिक विनियमों (अर्थात् कार्य घंटों की संख्या, न्यूनतम मजदूरी भुगतान, सवेतन अवकाश आदि) के प्रावधानों के साथ कामगारों को प्राप्त रोजगार में सुरक्षा की भावना से है। परंतु भारत में ऐसा रोजगार बहुत कम है (कुल रोजगार का लगभग 7 प्रतिशत) और अधिकांशतः औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण का कुछ स्तर प्राप्त कामगारों के लिए कृषीत्तर उपक्रमों में उपलब्ध है। कृषि श्रमिक अपनी कम साक्षरता और परिणामतः अल्प दक्षता के कारण लगभग पूर्णतः असंगठित या अनौपचारिक सेक्टर श्रमिक बल के अंश होते हैं। कृषि श्रमिकों की इस विशेषता का प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि उनमें अपने सांविधिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति का अभाव होता है। इससे वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा गारंटीशुदा नियत न्यूनतम मजदूरी पाने से भी वंचित रह जाते हैं। कृषि कामगारों के इस लक्षण ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (2012) को यह प्रेक्षण करने के लिए बाध्य किया कि भारत के संदर्भ में कृषि कार्यों में लगे हुए लगभग 52 प्रतिशत कामगारों (या ग्रामीण सामान्य प्रस्थिति कामगारों लगभग 65 प्रतिशत और शहरी सामान्य प्रस्थिति कामगारों का 7 प्रतिशत) को NSSO के रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षणों से पृथक रखा गया है और विशेषकर अनौपचारिक सेक्टर पर फोकस किया गया है। आगे उल्लेख करते हुए कि

2004-05 में कृषि और वानिकी के असंगठित क्षेत्र में कार्यों में लगे श्रमिकों का अनुमानित भाग 99.9 प्रतिशत था और कि मत्स्य पालन में 98.7 प्रतिशत था। आयोग ने आगे प्रेक्षण किया कि ''देश के राष्ट्रीय आय के अनुमानों के लिए कृषि और संबद्ध कार्यों के लगे हुए विशाल असंगठित रोजगार के आर्थिक योगदान का गंभीर अल्प अनुमान इसका प्रभाव है।'' इसलिए कृषि में अनौपचारिक या असंगठित सेक्टरों की ऐसी विशाल संख्या की मौजूदगी इस प्रकार, दोनों, व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिए भी आर्थिक क्षति है। सिद्धांत रूप से बल के औपचारिकीकरण की मात्रा ऐसे विकासक्रम से घटने की आशा की जाती है जिसके लिए अधिक पूँजीगत निवेश आवश्यक हो। इसके लिए, कृषि में छोटे और सीमांत किसानों के लिए पूँजी की उपलब्धता होनी आवश्यक है जिससे वे प्राप्य प्रौद्योगिकी प्रगति को अधिकाधिक अपनाकर अपनी भूमि पर लाभकारी खेती कर सकें। साथ-साथ नीति प्रयासों का फोकस अपेक्षित विस्तार प्रशिक्षण से कृषि में लगे हुए कामगारों की प्रौद्योगिकी अंगीकरण क्षमता बढ़ाने पर होना चाहिए।

### 24.2.4 मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार

2009-10 की रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट (श्रम ब्यूरो भारत सरकार-2010) में कृषि में स्वरोजगार युक्त परिवार अनुमानतः 28.8 प्रतिशत हैं। यह कृषीत्तर में तद्नुरूपी अनुपात (13.9 प्रतिशत) का दुगुना है। मजदूरी रोजगार परिवारों का अनुमानित अनुपात 41.2 प्रतिशत है। मजदूरी रोजगार की परिभाषा उन लोगों को शामिल करने के लिए की गई है जो नियमित आधार पर प्राप्त वेतन या मजदूरी के बदले अन्य व्यक्तियों के फार्म या फार्म से भिन्न उपक्रमों में कार्य करते हैं। (अर्थात् दैनिक या आवधिक पुनर्नवीयनयोग्य ठेका कार्य के आधार पर नहीं हैं) ये सड़कों, बांधों आदि के निर्माण में लगे होते हैं। इस प्रकार वे अल्पकालिक आय प्रदान करने तथा विशेष रूप से स्व-रोजगारमुक्त कामगारों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक आधारभूत संरचना निर्माण का दोहरा कार्य करते हैं।

दूसरी ओर, स्वनियोजित व्यक्तियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः वे व्यक्ति जो अपने कृषि या कृषीत्तर उपक्रम प्रचालन करते हैं या किसी व्यवसाय या व्यापार में स्वतंत्र रूप से लगे होते हैं। स्वनियोजित व्यक्ति की आवश्यक विशेषता यह है कि उन्हें कार्य करने की (कैसे, कहां और कब उत्पादन करना है) और (बाजार, प्रचालन की मात्रा और उनके धन के बारे में) स्वायत्तता होती है। स्वनियोजित द्वारा प्राप्त शुल्क या पारिश्रमिक के दो भाग हैं – उनके श्रम का भाग और उपक्रम का लाभ। दूसरे शब्दों में, उनके पारिश्रमिक का निर्धारण पूर्णतः या मुख्यतया उस माल या सेवा की बिक्री या लाभ द्वारा किया जाता है जिसे वे उत्पादित करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कृषि श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या रोजगार के लिए दिन प्रति दिन तलाश पर निर्भर होते हैं, सरकार ने दशाब्दियों से ग्रामीण कृषि कामगारों की आवश्यकताओं के अनुकूल कई विशेष रोजगार संवर्धन कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार के ''व्यक्ति दिन'' बनाने हैं (अर्थात् नियमित और धारणीय स्वरूप के रोजगार के बदले तत्काल अधिक रोजगार पैदा करना है) ताकि अकुशल कामगारों के रोजगार या अल्परोजगार की मात्रा कम की जा सके)। हम इन कार्यक्रमों के बारे में इस इकाई के भाग 24.4 में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे।

**बोध प्रश्न 1**

नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) भारत में ''कुल ग्रामीण जनसंख्या से कृषि कामगारों'' का क्या अनुपात है? क्या आप बता सकते हैं इस अवरुद्धता के सहायक कारक क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

2) जनगणना ''कृषि कामगारों'' का वर्गीकरण कैसे करती है? इस संबंध में NSSO द्वारा आगे क्या उपवर्गीकरण किये गये हैं?

.....

.....

.....

.....

3) ''कृषि श्रमिक परिवार'' की परिभाषा किस प्रकार की गई है? भारत में ''सीमांत/ छोटे किसानों और कृषि कामगारों'' का मिलकर कुल कृषि कामगारों से कितना अनुपात है?

.....

.....

.....

.....

4) NSSO ने भारत में कृषि रोजगार मापने के लिए कौन-से तीन दृष्टिकोण अपनाए हैं? क्या आंकड़े सुझाते हैं कि भारत में औसत कृषि परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित कर सकता है?

.....

.....

.....

.....

5) 2004-05 में ''कृषि श्रमिकों'' का अनुमानित गरीबी अनुपात क्या था? खेतिहर किसानों के औसत गरीबी अनुपात की तुलना यह कैसे करता है?

.....

.....

.....

.....

6) भारत में ''असंगठित क्षेत्र कामगार'' को कैसे परिभाषित किया जाता है?

.....

.....

.....

.....

7) निम्नलिखित पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (NSO) का क्या प्रेक्षण है : (i) उन असंगठित कृषि कामगारों का संख्या, जिन्हें रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है और (ii) राष्ट्रीय अनौपचारिक सेक्टर सर्वेक्षणों में शामिल न किए गए कृषि कामगारों की ऐसी विशाल संख्या का प्रभाव?

.....

.....

.....

.....

8) ऊपर प्रश्न 7 में उल्लिखित स्थिति सुधारने के लिए आप किस दिशा में नीति प्रयासों को फोकस किए जाने की आवश्यकता समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

9) भारत में रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षणों में मजदूरी रोजगार को किस प्रकार परिभाषित किया गया है?

.....

.....

.....

.....

10) ''अनियत मजदूरी श्रमिक'' और ''मजदूरी कर्मचारी'' में बुनियादी अंतर क्या है?

.....

.....

.....

.....

11) स्वनियोजित व्यक्ति की परिभाषा कैसे की गई है? इस संबंध में स्वनियोजित व्यक्ति मजदूरी नियोजित व्यक्ति से भिन्न कैसे है?

.....

.....

.....

.....

12) यह कहा जाता है कि भारतीय कृषि में मजदूरी रोजगार पर आश्रित कामगारों का संख्या अत्यधिक है। सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए रोजगार सृजन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

.....

.....

.....

.....

## 24.3 कृषि श्रम में प्रवृत्तियाँ

कृषि श्रमिकों की संख्या और अनुपात में बदलती हुई प्रवृत्तियों को 1951-2001 के पांच दशकों की अवधि के दौरान जनगणना आंकड़ा द्वारा आंका जा सकता है। इसके अलावा, कृषि परिवारों की, (उनके जोतों की श्रेणी द्वारा) औसत मासिक आय के बारे में अनुमान 2002-03 के ''किसानों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (SAS)'' पर केंद्रित NSSO सर्वेक्षण द्वारा किया जा सकता है। इन आंकड़ों का प्रयोग करते हुए और औसत सूचकों, जैसे संवृद्धि दर और प्रतिशत का अभिकलन प्रयोग कर हम संदर्भाधीन छह दशाब्दी अवधि के दौरान कृषि परिवारों की दशा में परिवर्तन जान सकते हैं।

### 24.3.1 कृषि श्रमिकों/कामगारों की वृद्धि/प्रतिशत

तालिका 24.1 में 1951-2001 के छह दशकों की अवधि के दौरान कृषि श्रमिकों/कामगारों में विद्यमान प्रवृत्तियों पर जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत हैं। कुल ग्रामीण जनसंख्या संबंधी आंकड़े छोड़कर, किसानों, कृषि श्रमिकों आदि पर आंकड़े केवल 2001 तक उपलब्ध हैं। आंकड़ों से ये मुख्य तथ्य स्पष्ट होते हैं :

**तालिका 24.1 : कृषि श्रम में प्रवृत्तियां 1951-2011**

| | आंकड़े मिलियन में | | | | प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | ग्रामीण जनसंख्या | किसान (सीमांत / छोटे किसान) | कृषि श्रमिक (AL) | कुल कृषि कामगार (TAW) | TAW और कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत | AL से TAW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1951 | 298.6 | 69.9(23.4) | 27.3 | 97.2 | 32.6 | 28.1 |
| 1961 | 360.3 | 99.6(27.6) | 31.5 | 111.1 | 36.6 | 24.0 |
| 1971 | 439.0 | 78.2(17.8) | 47.5 | 125.7 | 28.6 | 37.8 |
| 1981 | 523.9 | 92.5(17.7) | 55.5 | 148.0 | 28.2 | 37.5 |
| 1991 | 628.9 | 110.7(17.6) | 74.6 | 185.3 | 29.5 | 40.3 |
| 2001 | 742.6 | 127.3(17.1) | 106.8 | 234.1 | 31.3 | 45.6 |
| 2011 | 833.1 | – | – | – | – | – |
| GR* % | 1.8 | 1.2 | 2.8 | 1.8 | – | – |

**स्रोत** : कृषि सांख्यिकी–2011 कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

**टिप्पणी** : संवृद्धि दरें (GR) 1951-2001 की अवधि की हैं। कालम 3 में कोष्ठक के अंदर आंकड़े, कॉलम 3 के कॉलम 2 से प्रतिशत हैं।

1) ''कृषि श्रमिकों'' की वृद्धि दर (2.8 प्रतिशत) ''ग्रामीण जनसंख्या'' (1.8 प्रतिशत) से अधिक रही है। विशेषकर 1951-2001 के दौरान यद्यपि ग्रामीण जनसंख्या 2.5 गुणा (1951-2011 दौरान 2.8 गुणा) बढ़ी है, परंतु कृषि श्रमिक 3.9 गुणा बढ़े हैं। इसने ग्रामीण सेक्टर में ''कृषि श्रमिकों'' की घनता बढ़ाई है।

2) ''कुल कृषि कामगारों'' की वृद्धि दर 1951-2001 की 5 दशाब्दी की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या (1.8 प्रतिशत) के समान है।

3) उपर्युक्त प्रवृत्तियां संकेत देती हैं कि कृषि से कृषीत्तर में श्रमिक स्थानांतरण बहुत धीमा था। चूंकि इस प्रक्रिया को कामगारों (विशेषकर ग्रामीण पुरुषों) के कुशलता स्तर से जोड़ा गया है, इसलिए हमें इस संबंध में अन्य अध्ययनों के निष्कर्षों पर विचार करना आवश्यक है।

4) अधिक अंतरण (और गरीबी के घटाव) में कृषीत्तर सेक्टर की असमर्थता का कारण यह तथ्य है कि ''अधिकांश रोजगार जो इसने पैदा किए हैं, वे निरक्षर या प्राथमिक स्तर तक शिक्षित व्यक्तियों नहीं बल्कि शिक्षित कामगारों के लिए है।'' (EPW, 2009)।

5) उपर्युक्त प्रवृत्तियों के फलस्वरूप ''कुल कृषि कामगारों का कृषि श्रमिक'' प्रतिशत 1951 में 28.1 से तेज़ी से बढ़कर 2001 में 45.6 प्रतिशत हुआ है।

6) ''किसान ग्रामीण जनसंख्या'' का प्रतिशत (अर्थात् कॉलम 3 का 2 से) 1971 (17.8 प्रतिशत) और 2001 (17.1 प्रतिशत) लगभग अवरुद्ध रहा है। ये प्रवृत्तियाँ इस अवधि के दौरान वास्तविक किसान को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के लिए भूमि सुधार उपायों के घटिया क्रियान्वयन की अभिव्यक्ति हैं।

## 24.3.2 सीमांत किसानों की बढ़ती हुई संख्या

तालिका 24.2 में 1961-2006 की अवधि के दौरान किसानों की भिन्न-भिन्न श्रेणी के लिए प्रचालनाधीन जोतों का विवरण प्रस्तुत है। तालिका से प्रकट होने वाली मुख्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं :

1) छोटे, मध्यम और बड़े किसानों के अनुपात में ह्रास और सीमांत किसानों के अनुपात में तद्नुरूपी तीव्र वृद्धि हुई है। सीमांत किसानों के प्रतिशत में वृद्धि 1961-2006 की अवधि में महत्त्वपूर्ण 25.7 प्रतिशत बिंदु रही है।

2) अधिक बड़े जोतों वाले किसानों की अन्य तीन श्रेणियों में मध्यम आकार के किसानों की संख्या में अति तीव्र ह्रास है; यह ह्रास 18.4 प्रतिशत बिंदु तक है।

3) सीमांत किसानों की श्रेणी में बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण है – एक ओर बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरी ओर, जोतों का विखंडन।

चूंकि किसानों की सभी श्रेणियों में गरीबी विद्यमान है (यद्यपि अधिक बड़े जोतों के किसानों में यह उत्तरोत्तर कम हुई है), परंतु प्रश्न औसत कृषि परिवार द्वारा प्राप्त आय पर और गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन निर्वाह करने के लिए उसकी पर्याप्तता पर उठता है। हम 2003 में NSSO द्वारा संचालित किसानों की स्थिति आकलन पर विशेष सर्वेक्षण के परिणामों के द्वारा इस स्थिति का आकलन कर सकते हैं।

**तालिका 24.2 : किसानों की श्रेणी द्वारा प्रचालनाधीन जोतों का विवरण (%) – 1961-2006**

| किसानों की श्रेणी | 1960-61 | 1970-71 | 1980-81 | 1990-91 | 2000-01 | 2005-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सीमांत | 39.1 | 45.8 | 56.0 | 62.8 | 62.3 | 64.8 |
| छोटे | 22.6 | 22.4 | 17.8 | 16.3 | 19.0 | 18.5 |
| मध्यम | 33.8 | 28.8 | 21.8 | 18.1 | 17.3 | 15.4 |
| बड़े | 4.5 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| **सभी** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

**स्रोत** : कृषि सांख्यिकीय 2001 (2000-01 और 2005-06) पपोला 2010 (1961-1991 के लिए)

**नोट** : मध्यमों में उपमध्यम भी शामिल हैं।

## 24.3.3 आय/उपभोग व्यय में कमी

तालिका 24.3 में कार्यकलापों के भिन्न-भिन्न स्रोतों से ''कुल आय'' और किसानों के भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए किए गए कुल उपभोग व्यय पर आंकड़े प्रस्तुत हैं। यह ''कुल उपभोग व्यय'' के संबंध में ''आय के अभाव'' का प्रतिशत भी प्रस्तुत करता है। आंकड़ों से जो मुख्य अंतर प्रकट होते हैं, वे इस प्रकार हैं :

1) औसतन किसानों की सभी श्रेणियों की प्रति माह आय रु. 655.00 तक ही होती है। दूसरे शब्दों में किसानों की सभी श्रेणियों को औसतन रूप से

लगभग 24 प्रतिशत आय का अभाव रहता है। किसानों की एक श्रेणी, जिसके पास अधिशेष आय है, मध्यम और उच्च श्रेणी है (अधिशेष लगभग रु. 4208.00 है)।

2) आय के अभाव का स्तर भिन्न-भिन्न होता है। भूमिहीन की आय लगभग 40 प्रतिशत और छोटे किसानों की लगभग 20 प्रतिशत कम है। उपसीमांत और सीमांत श्रेणी के किसान की कमी प्रायः वैसी ही (लगभग 30 प्रतिशत) है।

3) आय के स्रोत के रूप में मजदूरी स्वाभाविक रूप से भूमिहीन वर्ग में उच्चतम (77.9 प्रतिशत) थी। जोतों के आकार में वृद्धि से मजदूरी से आय का स्रोत उत्तरोत्तर घटता है, उपसीमांत (60 प्रतिशत), सीमांत (40 प्रतिशत) छोटे (25 प्रतिशत) और मध्यम तथा उच्च (9 प्रतिशत) हैं।

4) आय के अभाव का एक परिणाम यह है कि ''मध्यम और उच्च'' श्रेणी को छोड़कर सभी वर्ग के किसान संभवतः ऋणग्रस्त हैं। जब कोई परिवार अपने बजट में कमी अनुभव करता है, तो वह ऋण से ही उस कमी को पूरा करता है। यह महत्त्वपूर्ण है।

2003 की ''स्थिति आकलन सर्वेक्षण (SAS)'' रिपोर्ट ने, आगे किसानों में ऋणग्रस्तता की सीमा और स्रोत का (जहां से वे इसे पूरा कर सकें) अध्ययन किया है। यद्यपि जोतों की सभी श्रेणियों के किसान ऋणग्रस्त थे, परंतु जो अधिक बड़े जोत समूह में थे, वे भूमिहीन की तुलना में प्रायः अधिक ऋणग्रस्त थे, यद्यपि औसतन 49 प्रतिशत किसान परिवार ऋणग्रस्त थे, किंतु, हमें जोत आकार के दो श्रेणियों के तद्नुरूप प्रतिशत आंकड़े ही उपलब्ध हैं : (i) वे जिनके पास कोई भूमि नहीं है या 1 हेक्टेयर तक है, 46 प्रतिशत, और (ii) वे जिनके पास 2 हेक्टेयर भूमि है, 58 प्रतिशत। इसके अलावा, यद्यपि मध्यम और उच्च किसान परिवारों की बहुत बड़ी संख्या संस्थागत स्रोतों से ऋण ले सकती है (67 प्रतिशत) परंतु छोटे और सीमांत किसान की तद्नुरूपी प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। (क्रमशः 58 प्रतिशत और 47 प्रतिशत) ''ऋण का प्रयोजन'' पर आंकड़े दर्शाते हैं कि लगभग 30 प्रतिशत ने पूँजीगत व्यय के लिए, 35 प्रतिशत ने चालू उत्पादन

**तालिका 24.3 : किसानों की श्रेणी द्वारा आय (रु.) में कमी, 2002-03**

| किसानों की श्रेणी (परिवार) | औसत मासिक आय से | | | | कुल आय (कमी) | कुल उपभोग व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खेती | मजदूरी | पशुपालन | कृषीत्तर व्यापार | | |
| भूमिहीन | 11 | 1075 | 64 | 230 | 1380(40.0) | 2297 |
| उपसीमांत | 296 | 973 | 94 | 270 | 1600(31.7) | 2390 |
| सीमांत | 784 | 720 | 112 | 193 | 1809(32.3) | 2672 |
| छोटे | 1578 | 635 | 102 | 178 | 2493(20.8) | 3148 |
| मध्यम और उच्च | 15682 | 1680 | 182 | 1393 | 18937(*) | 14729 |
| सभी श्रेणियां | 969 | 819 | 91 | 236 | 2115(236) | 2770 |

**स्रोत** : भल्ला 2008

**नोट** : **(*)** इस श्रेणी के लिए कोई आय कमी नहीं है।

व्यय के लिए और 35 प्रतिशत ने उपभोग व्यय के लिए ऋण लिया है। किसानों की श्रेणी के अनुसार लगभग 61 प्रतिशत भूमिहीनों ने उपभोग व्यय के लिए ऋण लिया। चालू उपभोग व्यय के लिए लिए गए ऋण भूमिजोतों के आकार में वृद्धि से होने पर कम रह जाते हैं। कुल मिलाकर, कृषि द्वारा आजीविका में धारणीयता और सुधार किसानों के बहुत बड़े भाग की मुख्य चिंता थी।

**बोध प्रश्न 2**

नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) कृषि श्रमिकों में विद्यमान प्रवृत्तियों के आधार पर भारत में श्रम-अंतरण की प्रक्रिया के बारे में क्या कहा जा सकता है? यह ऐसा क्यों है?

.....

.....

.....

.....

2) निम्नलिखित के बारे में क्या प्रवृत्ति रही है : (i) कुल कृषि कामगारों से कृषि श्रमिकों का अनुपात और (ii) कुल ग्रामीण समुदाय से किसानों की किस श्रेणी का अनुपात तेज़ी से बढ़ा है? यह किन कारकों के कारण है?

.....

.....

.....

.....

3) 1961-2006 की अवधि में किसानों की किस श्रेणी का अनुपात तेज़ी से बढ़ा है? यह किन कारकों के कारण है?

.....

.....

.....

.....

4) किसानों की श्रेणी के अनुसार ''आय का अभाव'' पर प्रवृत्ति भारत में औसत किसान परिवार के बारे में क्या सूचित करती है?

.....

.....

.....

.....

5) भारत में किस सीमा तक किसान परिवारों की भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ ''संस्थागत ऋण'' पाने में समर्थ रही हैं?

.....

.....

.....

.....

6) लिए गए ऋण का कितना अनुपात उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए था? उपभोग व्यय के लिए लिया गया ऋण किसानों की श्रेणी तथा उनकी जोतों के आकार के अनुसार कैसे भिन्न होता है?

.....

.....

.....

.....

## 24.4 कृषि श्रमिकों की आजीविका प्रस्थिति सुधारने के लिए कार्यक्रम

1960 के दशक के मध्य में सरकार ने अनुभव किया कि कृषि श्रमिकों और सीमांत/छोटे किसानों के लिए विशेष सहायता आवश्यक है ताकि वे कृषि संवृद्धि की प्रक्रिया से लाभ प्राप्त कर सकें। इससे विशेषकर कृषि कार्यों की मंदी के मौसम के दौरान रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए बहुत से कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम कृषि उन्मुख हैं जबकि अन्य का उद्देश्य स्व-रोजगार संवर्धन है। समय-समय पर बहुत से पिछले कार्यक्रमों का विलय नए कार्यक्रमों से किया गया। इस भाग में हम इन कार्यक्रमों में विहंगावलोकन करेंगे।

### 24.4.1 कृषि उन्मुख कार्यक्रम

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के दौरान दो एजेंसियों, अर्थात् (i) छोटे किसान विकास एजेंसी (SFDA) और (ii) सीमांत किसान और कृषि श्रमिक विकास एजेंसी (MFALDA) की स्थापना की गई। इन एजेंसियों को ऐसे कार्यक्रम शुरू करने थे : छोटी सिंचाई साधनों (भूमि विकास और मृदा संरक्षण कार्य प्रारंभ करके) की स्थापना से भूमिहीन श्रमिकों और सीमांत/छोटे किसानों की सहायता करना और संबद्ध कृषि कार्यों द्वारा आय अर्जित करने के लिए अपने साधनों का विस्तार कर पशुओं का उपार्जन करना। इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें मुख्यतः जिला स्तर पर स्थापित किया गया। 1980 तक इस के संरक्षण में अनुमानतः 8 मिलियन व्यक्तियों की सहायता की गई। अनुवर्ती वर्षों में दो कार्यक्रमों/एजेंसियों का विलय 'एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम' IRDP में किया गया।

### 24.4.2 स्वरोजगार कार्यक्रम

गरीब परिवारों में स्वरोजगार प्रोत्साहित करने पर 1970 के दशक के अंत में IRDP के प्रारंभ से विशेष बल दिया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों को भूमि से भिन्न परिसंपत्तियां अर्जित करने की सहायता देना था। इसके लिए कार्यक्रम ने साहाय्य और बैंक ऋण के लिए सहायता दी। 1979-1999 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत के 20 वर्षों के दौरान अनुमानतः 54 मिलियन परिवारों को सहायता दी गई। IRDP के बहुत से मूल्यांकन अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि गरीब परिवारों की आय संपूरित करने के लिए कार्यक्रम का योगदान महत्त्वपूर्ण था। जो इस कार्यक्रम की सहायता से गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके, उन परिवारों की अनुमानित संख्या लगभग 15 प्रतिशत थी। IRDP की मुख्य आलोचना यह थी कि यद्यपि यह स्वरोजगार उद्यम की सफलतापूर्वक स्थापना के लिए अपेक्षित सभी सहायता प्रदान करने की दृष्टि से ''एकीकृत'' थी परंतु व्यवहार में यह बहुत ही कम एकीकृत सिद्ध होती थी। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को औसत रूप से रु. 9000/– की निवेश सहायता दी गई जो किसी उद्यम को शुरू करने और उसे चलाने के लिए बहुत कम समझा गया था। 1999 में IRDP को ''स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना'' (SGSY) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। SGSY ने स्वावलंबन समूहों (SHGs) के गठन द्वारा सामाजिक जागरूकता से माइक्रो उद्यम के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा, अति आवश्यक एकीकृत स्वरूप सुधारने के लिए इसने ऐसे उपाय अपनाए : (i) कार्यकलापों के संकुलों की योजना, (ii) आधारभूत संरचना निर्माण, (iii) प्रौद्योगिकी सहायता, और (iv) विपणन संयोजन। 2009-10 तक लगभग 10 मिलियन SHG स्वरोजगार समूहों और 4 मिलियन वैयक्तिक स्वरोजगारिकों को इस कार्यक्रम के अधीन सहायता दी गई। प्रतिस्वरोजगारी औसत निवेश (ऋण और साहाय्य) 2009-10 में रु. 32,009.00 था। यद्यपि यह IRDP के अधीन प्रति स्व-रोजगारयुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त सहायता की अपेक्षा अधिक थी, फिर भी इसे 1,00,000 की राशि से बहुत कम पाया गया जिसे स्वरोजगार उद्यम के लिए न्यूनतम निवेश आवश्यकता माना गया था। इसके अलावा सबसे अच्छा निष्पादन करने वाले राज्यों (जैसे आंध्र प्रदेश और केरल) में भी लाभभोगियों को प्रति मास केवल 2000 रुपये की मासिक आय अर्जित करता हुआ पाया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण परिवारों को अपनी आय संपूरित करने के लिए मजदूरी श्रम सहित कई कार्य करने पड़ते हैं। इसके आलोक में ''ऋण संबंधी समस्याओं पर समिति'' (राधाकृष्ण समिति, 2009) ने SGSY की पुनर्संरचना करने और इसे कुशलता आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से मिलाने की सिफारिश की।

### 24.4.3 मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

ग्रामीण गरीबों की सहायता करने के लिए मजदूरी रोजगार अवसर देने की आवश्यकता बहुत लंबे समय से अनुभव की जा रही थी। परंतु इसे 1990 के दशक के प्रारंभ में प्रोत्साहन मिला जब NSSO के रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षणों द्वारा तैयार की गई बेरोजगारी के पंचवर्षीय अनुमान उपलब्ध हुए। दूसरे शब्दों में, इन अनुमानों ने योजनाकारों की ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा किए जाने वाले रोजगार के परिमाणात्मक अनुमान तैयार करने में सहायता की। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सामूहिक राहत प्रदान करने के लिए श्रम प्रधान सार्वजनिक कार्य कार्यक्रमों

के लंबे अनुभव से प्रथम मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम'' (NREP) 1980 में प्रारंभ किया गया। गरीबी उन्मूलन प्रयास के नाम से प्रारंभ किये गये, NREP के दो उद्देश्य थे : (i) ग्रामीण गरीबों को मजदूरी आय प्रदान करना, और (ii) ग्रामीण आधारभूत संरचना का निर्माण करना। 1983 में ''ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम'' (RLEGP) ग्रामीण भूमिहीनों को 100 दिनों की रोजगार गारंटी देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एक अन्य कार्यक्रम अर्थात् ''रोजगार आश्वासन योजना'' (EAS) भी 1983 में चुनिन्दा पिछड़े क्षेत्रों में 100 दिनों के रोजगार देने के वैसे ही उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। NREP और RLEGP को ''जवाहर रोजगार योजना'' (JRY) में विलय किया गया। बाद में, 2001 में सभी मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों को ''संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना'' (SGRY) में विलय किया गया। किसी भी नियत एक वर्ष के दौरान मजदूरी रोजगार कार्यक्रम रोजगार ''व्यक्ति दिन'' की पर्याप्त संख्या पैदा कर सकते थे। उदाहरण के लिए, 1998-99 में रोजगार के लगभग 4.4 मिलियन व्यक्ति वर्ष, अर्थात् उस वर्ष के कुल श्रम बल व्यक्ति वर्षों को लगभग 1.5 प्रतिशत पैदा किये गये थे। इन सभी प्रयासों के बावजूद यह देखा गया कि ये सभी कार्यक्रम अपेक्षित संपूरक रोजगार के केवल छोटे से अंश को पूरा कर सकते थे, और इसलिए 1990 के दशक और उसके बाद साधारणतया ग्रामीण परिवारों की पारिवारिक आय में बहुत कम योगदान कर पाते थे। इसके फलस्वरूप 2004 में ''राष्ट्रीय किसान आयोग'' का गठन हुआ। आयोग ने वर्ष 2004-06 के दौरान अपनी कई रिपोर्ट प्रस्तुत कीं, उन्होंने अपनी रिपोर्टों में कृषि वृद्धि में मंदगति पर गंभीर चिंता उठाई और विशेषकर वर्षा प्रधान क्षेत्रों के सीमांत तथा छोटे किसानों की दशा को ''विपत्ति'' की संज्ञा दी। इसके परिणाम में 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया गया। हम इसके बारे में पाठ्यक्रम की अगली इकाई में अध्ययन करेंगे।

### 24.4.4 क्षेत्र विकास कार्यक्रम

स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों की उपयुक्तता और प्रभावशीलता अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है क्योंकि यह क्षेत्र में अन्यान्य संसाधनों की विद्यमानता पर निर्भर करता है। इसे प्राप्त करने में क्षेत्र विशेष के विकास और किसान तथा कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित करने के प्रयास किए जाते हैं, इस श्रेणी के अधीन ''सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम'' (DPAP) 1973-74 में शुरू प्रथम प्रयास था। इसका ध्येय उत्पादकता, जल और मानव संसाधनों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर फसलों के उत्पादन और पशुओं पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों न्यूनीकरण करना था। कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों को ''सूखा सह'' बनाना था। यद्यपि DPAP टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करने में सफल था परंतु सूखे के प्रतिकूल प्रभाव नियंत्रित करने पर समग्र रूप से प्रभावकारी नहीं था। हनुमंथाराव समिति (1993) ने DPAP कार्यक्रम की समीक्षा की। उसने क्रियान्वयन के ''भौगोलिक रूप से और कार्यकलाप अनुसार अत्यधिक असंबद्ध और अव्यवस्थित स्वरूप'' को घटिया निष्पादन का कारण बताया। इसके बाद DPAP की पुनर्रचना कर इसे जलविभाजक विकास कार्यक्रम की संज्ञा दी गई। इसके बाद के वर्षों में DPAP के प्रकल्पों के साथ-साथ जलविभाजक और बंजर विकास विभाजक कार्यक्रमों को समन्वित रूप से चलाया गया। अधिक समाकलित दृष्टिकोण के लिए इन तीनों के लिए उभयनिष्ठ दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। ग्यारहवीं

योजना (2007-15) में तीन कार्यक्रमों को एक ही कार्यक्रम अर्थात् ''एकीकृत बंजर भूमि प्रबंधन कार्यक्रम'' (IWMP) में समेकित कर दिया गया।

### 24.4.5 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

NRLM 2010 के बाद की पहल है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा (BPL) से बीच के परिवारों में गरीबी कम करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की गई। मिशन ने निम्नलिखित द्वारा ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है : (i) SHG का संवर्धन, और (ii) कुशलता विकास और नौकरी दिलाकर विद्यमान व्यवसायों को सुधारना। मिशन ''जिला ग्राम विकास एजेंसियों'' (DRDA) के माध्यम से विकेंद्रीकृत आधार पर क्रियान्वित किया गया है। यह स्वीकार करते हुए कि स्वरोजगार का संवर्धन अकेले ही सभी परिवारों के लिए समाधान नहीं हो सकता है, मिशन के साथ-साथ मजदूरी और वेतन आधारित रोजगार अपनाने के लिए ऐसे कुशलता संपन्न परिवारों में कामगारों को तैयार करने के प्रयास अपना रहा है। इसके लिए, मिशन अपने प्रयास ''राष्ट्रीय कुशलता विकास मिशन''(NSDM) के प्रयासों से संबद्ध कर रहा है। इस माध्यम से मिशन संकल्पना करता हैः कई ''ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान'' (RSETI) स्थापित करना, और (iii) विद्यमान आधारभूत प्रशिक्षण संरचना का उपयोग कर नियोजन योग्य कुशलता में प्रशिक्षण देना और ग्रामीण युवकों की कुशलता विकास के लिए मास्टर शिल्पी का प्रशिक्षण देना।

### 24.4.6 ग्यारहवीं योजना की पहलें

ग्यारहवीं योजना का उद्देश्य कृषि में सार्वजनिक निवेश कृषि (GDP) के 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत बढ़ाकर कृषि सेक्टर की गतिशीलता पुनःस्थापित करना था। इसके अलावा, कृषि में 4 प्रतिशत संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए वर्षा प्रधान क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किये गए। आप इस पाठ्यक्रम के पिछले खंड (इकाई 22) में पहले से प्रारंभ की गई कई योजनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे (i) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), और (ii) कृषि योजना का मैक्रोप्रवर्धन (MMAS)। ग्यारहवीं योजना का महत्त्वपूर्ण पहलू ''सामाजिक संदर्भ'' पर उसका विशेष ध्यान था। इसमें भूमि सुधार, जनजाति लोगों के भूमि अधिकारों का संरक्षण, वासभूमि अधिकारों की सुरक्षा और काश्तकारी अधिकारों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के दृष्टिकोण को पिछली दशाब्दियों में अपनाई गई उत्पादन केंद्रित रणनीतियों से विचलन प्रतिबिंबित करने वाला कहा गया था।

### 24.4.7 बारहवीं योजना का दृष्टिकोण

बारहवीं योजना, विशेषकर देश के वर्षा प्रधान क्षेत्रों में कृषि संबंधी संकट की निरंतर मौजूदगी को स्वीकार करती है। आठवीं योजना अवधि में प्रारंभ किए गए उपचारी कार्य बारहवीं योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव किया गया। इन कार्यों में योजना आबंटन में पर्याप्त वृद्धि शामिल है : (i) ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए भारत निर्माण (BNRI) के लिए, (ii) MGNREGA के अधीन भूमि और जल संरक्षण से रोजगार सुरक्षा जोड़ने के लिए (देखिए इकाई 25), और (iii) अधिक गरीब क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान

निधि (BRGF) के अधीन बजट संबंधी सहायता के लिए अपनी योजनाएं स्वयं बनाने के लिए सक्षम बनाना।

**बोध प्रश्न 3**

नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित दो फार्म उन्मुखी कार्यक्रमों का क्या उद्देश्य था? 1980 तक उनकी प्रगति क्या थी?

.....

.....

.....

.....

2) IRDP का क्या उद्देश्य था? अपने जीवनकाल में उसकी उपलब्धि क्या है?

.....

.....

.....

.....

3) IRDP के मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा की गईं दो मुख्य आलोचनाएं क्या थीं?

.....

.....

.....

.....

4) IRDP में कमियों को उसके उत्तरवर्ती कार्यक्रम SGSY में दूर कैसे किया गया? इसके लिए SGSY द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण क्या था?

.....

.....

.....

.....

5) SGSY किस संबंध में और किस सीमा तक IRDP से अधिक सुधार कर सकता है? इसके बावजूद SGSY पर ''ऋण संबंधी समस्याओं'' पर समिति के क्या प्रेक्षण थे?

.....

.....

.....

.....

6) 1980 के दशक के दौरान प्रारंभ किए गए दो मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के दो मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। किस सीमा तक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों की रोजगार आवश्यकताएं पूरी कर सका?

.....

.....

.....

.....

7) 1970 के दशक के प्रारंभ में शुरू किया गया ''क्षेत्र विकास कार्यक्रम'' क्या था? 1990 के दशक में इसे पुनःरचित क्यों किया गया?

.....

.....

.....

.....

8) ग्रामीण गरीबी कम करने के लिए 2010 के बाद पहल का नाम बताइए, इसके दृष्टिकोण के दो तत्व क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

9) NRLM ग्रामीण कामगारों में कुशलता विकसित करने के उसके उद्देश्य प्राप्त करने का उद्देश्य कैसे करता है?

.....

.....

.....

.....

10) ग्यारहवीं योजना ने भारतीय कृषि सेक्टर में गतिशीलता पुनःस्थापित करने का प्रयास कैसे किया? अपनी पिछली अंगीकृत रणनीतियों से विचलन में उसका दृष्टिकोण क्या था?

.....

.....

.....

.....

11) बारहवीं योजना कृषि संबंधी संकट की समस्या का समाधान करने के लिए किस दिशा में जाने का प्रस्ताव करती है?

.....

.....

.....

.....

## 24.5 कृषि मजदूरी : आंकड़ा संसाधन और प्रवृत्तियां

सामान्यतः मजदूरियों और विशेष रूप से कृषि मजदूरियों की महत्त्वपूर्ण विशेषता उनमें कार्यों और लिंग के अनुसार अंतर है। यद्यपि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) कृषि कामगारों के लिए सांविधिक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है, परंतु व्यवहार में विद्यमान मजदूरी दर बहुत कम है। इसके अलावा, यद्यपि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अवस्थिति या लिंग का लिहाज किए बिना राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी विनिर्दिष्ट करता है, कृषि सेक्टर में लिंग के बीच मजदूरियों में अंतर है और कृषि और कृषीत्तर सेक्टरों के बीच कामगारों के लिए भिन्न है। दूसरे शब्दों में, मजदूरियों के मामले में ये अंतर सेक्टर और अंतरा सेक्टर असमानताएं हैं। इन आयामों को शामिल करते हुए हम इस भाग में आंकड़ा स्रोतों और प्रवृत्तियों की दृष्टि से कृषि मजदूरी का विहंगावलोकन करेंगे।

### 24.5.1 आंकड़ा स्रोत

ग्रामीण श्रम जांच (RLE) की रिपोर्टें कृषि और संबद्ध कार्यों जैसे जोताई, बोआई, रोपाई, निराई और फसल कटाई, खेती, वानिकी, प्लांटेशन, पशुपालन और मत्स्य पालन के भिन्न प्रकारों के लिए अर्जन पर आंकड़े देती हैं। 1977-78 से RLE रिपोर्टों के लिए आंकड़ा एकत्र करने का कार्य NSSO के पंचवर्षीय रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षणों से समाकलित दिया गया है। NSSO द्वारा आंकड़ा एकत्र करने के बाद ''ग्रामीण श्रमिक परिवारों की मजदूरियों और अर्जन'' पर (RLE) की रिपोर्टें श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और प्रकाशित की जाती है। इस संबंध में प्रकाशित अद्यतन रिपोर्ट वर्ष 2004-05 के लिए 61वें NSSO दौर की है (2010 में छह वर्ष के अंतर से प्रकाशित। इससे पहले कि हम (वर्ष 1993-94, 1999-2000 और 2004-05 की तीन पूर्ववर्ती रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण रिपोर्टों में आंकड़ों से) कृषि कामगारों की मजदूरियों में प्रवृत्ति का अध्ययन करें, ''उन'' दो विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करना उचित होगा जिनका सुसंगति आयाम पर प्रभाव होता है। एक का संबंध उनकी ''अनुमानित संख्या'' से है और दूसरे का उनके ''अर्जन/मजदूरियों'' से है।

1) **अनुमानों में अंतर** : पहले हमने उपभाग 24.3.1 में नोट किया था कि 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार ''कृषि श्रमिकों'' की संख्या 106.8 मिलियन थी और ''कुल कृषि कामगारों'' का प्रतिशत के रूप में (अनुमानित 234.1 मिलियन) कृषि श्रमिक 45.6 प्रतिशत थे। अनौपचारिक या असंगठित सेक्टर कामगारों की इतनी विशाल संख्या की समस्याओं का समाधान करने के महत्त्व को महसूस करते हुए भारत सरकार ने 2004 में ''राष्ट्रीय असंगठित सेक्टर उद्यम आयोग'' (NCEUS) गठित किया। अन्य बातों के साथ आयोग को ''भारत में असंगठित क्षेत्र कामगारों की उनके आकार, विस्तार, कार्यक्षेत्र और रोजगार की परिमात्रा के अनुसार प्रस्थिति की समीक्षा करने'' का कार्य सौंपा गया। आयोग कई रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुका है और इन्हें भारत में असंगठित सेक्टर पर महत्त्वपूर्ण आंकड़ा स्रोत के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। ''कार्य की दशाएं और आजीविकाओं का संवर्धन'' (NCEUS, 2007) पर अपनी रिपोर्ट में आयोग ने प्रेक्षण किया कि (i) प्रायः सभी कृषि श्रमिक मजदूरियों के बदले (घंटे के आधार पर या काम के अनुसार दर पर भुगतान) कृषि में हाथ के काम पर निर्भर अनियत श्रमिक है, और (ii) 2004-05 में भारत में कृषि श्रमिकों की अनुमानित संख्या 87 मिलियन है जो भारत में कुल 253 मिलियन कृषि कामगारों का 34 प्रतिशत है। NSSO आंकड़ा पर आधारित कृषि श्रमिकों की अनुमानित संख्या, इस प्रकार जनगणना के आंकड़ों से कम थी। इसलिए, यह नोट करना महत्त्वपूर्ण है कि आंकड़ा संग्रहण की सीमाओं के कारण भिन्न-भिन्न स्रोतों द्वारा अनुमान पर्याप्त अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, NCEUS ने प्रेक्षण किया कि ''असंगठित सेक्टर पर LB के सर्वेक्षण में पारिवारिक श्रम द्वारा संचालित छोटे उद्यम में स्व-नियोजित कामगार शामिल नहीं हैं।'' यह हमें भिन्न-भिन्न स्रोतों द्वारा आंकड़ों का प्रयोग करते समय आंकड़ों के संग्रहण के लिए अपनाई गई संकल्पना और परिमात्रा का सावधानी के साथ विश्लेषण से अनुमानों/अनुपातों की सीमा के अनुसार जाने का महत्त्व बताता है।

2) **न्यूनतम मजदूरी के लिए दो मानदंड** : 2004-05 कीमत में शहरी-ग्रामीण अवस्थिति को ध्यान में रखे बिना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा निर्धारित हाथ के काम के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 66 रुपये है। परंतु यह प्रेक्षण करते हुए कि 2002 में कामगारों की बड़ी संख्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संरक्षण के बाहर रही, NCEUS ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49 रुपए वैकल्पिक ''बुनियादी न्यूनतम मजदूरी'' का प्रस्ताव किया।

### 24.5.2 कृषि मजदूरियों में प्रवृत्तियां

तालिका 24.4 में लिंग और कृषि/कृषीत्तर कार्यों में मजदूरी की असमानता में प्रवृत्तियां दिखाई गई हैं। मुख्य अनुमान जो आंकड़ों से निकलता है और राज्यों द्वारा मजदूरियों में प्रवृत्तियों पर कुछ अतिरिक्त तथ्य इस प्रकार हैं :

1) कृषि में 2004-05 में मजदूरी (2004-05 कीमतों पर) NCEUS द्वारा प्रस्तावित बुनियादी न्यूनतम मजदूरी से भी थोड़ी कम थी।

2) लिंग के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 31 प्रतिशत कम मजदूरी मिली। पुरुष मजदूरी से महिला मजदूरी का अनुपात 1994-2005 की अवधि में लगभग वैसा ही रहा है।

3) दोनों लिंगों के लिए मजदूरी में वृद्धि दर 1994-00 की अवधि की तुलना में 2000-05 के दौरान बहुत तेजी से मंदन हुए (पुरुषों के लिए 2.8 से 1.4 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 2.9 से 1.5 प्रतिशत)। परंतु, पुरुष और महिला दोनों कामगारों के लिए मजदूरी में वृद्धि 1994-2005 की 11 वर्ष की अवधि में वैसी ही (2.2 प्रतिशत) थी। यह 2000 के दशक के पूर्वार्ध में 1990 के दशक के उत्तरार्ध की तुलना में स्थायित्व सूचित करता है।

**तालिका 24.4 : कृषि मजदूरियों में असमानता 1993-94 से 2004-05**

| लिंग/अनुपात | वर्ष | मजदूरी रुपए/श्रम दिवस 2004-05 कीमतें | वृद्धि दर (%) अवधि |
|---|---|---|---|
| पुरुष | 1993-94 | 37.9 | 2.8 (1994-00) |
| | 1999-00 | 44.8 | 1.4 (2000-05) |
| | 2004-05 | 48.1 | 2.2 (1994-05) |
| महिला | 1993-94 | 26.5 | 2.9 (1994-00) |
| | 1999-00 | 31.6 | 1.3 (2000-05) |
| | 2004-05 | 33.4 | 2.2 (1994-05) |
| महिला का पुरुष मजदूरी से अनुपात | 1993-94 | 0.70 | |
| | 1999-00 | 0.71 | |
| | 2004-05 | 0.69 | |
| कृषि का कृषीत्तर से अनुपात | 1993-94 | 0.66 | |
| | 1999-00 | 0.62 | |
| | 2004-05 | 0.65 | |

**स्रोत** : NCEUS, 2007

4) औसत कृषि मजदूरी दर का कृषीत्तर मजदूरी दर से अनुपात 1994-2005 की अवधि के दौरान लगभग 0.65 के आस-पास बना रहा। यह संकेत देता है कि कृषि श्रमिक को कृषीत्तर कार्य के लिए मजदूरी दो-तिहाई कम मिली।

5) न्यूनतम मजदूरी मानकों की कमी सभी राज्यों में थी। परंतु केरल, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश अपवाद रहे। वहां कृषि श्रमिकों की बड़ी संख्या (71–83 प्रतिशत) राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी रुपये 160.00 से अधिक मजदूरी प्राप्त कर रही थी।

6) उपर्युक्त प्रतिशत कृषि की दृष्टि से समृद्ध राज्यों, अर्थात् पंजाब और हरियाणा में असाधारण रूप से कम था। हरियाणा में 58 प्रतिशत कृषि श्रमिक और पंजाब में 60 प्रतिशत 66 रु. के राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी पा रहे थे।

**बोध प्रश्न 4**

नीचे दिए गए रिक्त स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए।

1) कृषि श्रमिकों की संख्या और उनकी मजदूरी पर आंकड़ों का स्रोत क्या है?

.....

.....

.....

.....

2) हमें भिन्न-भिन्न स्रोतों से ''कृषि श्रमिकों की संख्या का कुल कृषि कामगारों'' पर अनुपात के अनुपातों में व्यापक अंतर क्यों मिलता है? इसे ध्यान में रखकर सामान्य विशेषताओं पर भिन्न-भिन्न स्रोतों द्वारा संकलित आंकड़े प्रयोग करते समय क्या करना चाहिए?

.....

.....

.....

.....

3) कृषि में हाथ के काम के लिए निर्धारित ''न्यूनतम मजदूरी'' क्या है? NCEUS ने क्या कारण दिए जब उसने भारत में कृषि के लिए ''राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी'' से बहुत कम ''बुनियादी न्यूनतम मजदूरी'' का सुझाव दिया?

.....

.....

.....

.....

4) भारत में लिंग के अनुसार कृषि मजदूरी में असमानता की सीमा क्या है? भारत में (1993-94 और 2004-05 की अवधि में) कृषि और कृषीत्तर मजदूरी के बीच असमानता की सीमा क्या थी?

.....

.....

.....

.....

5) कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कौन-से तीन राज्य अपवाद थे? वे किस सीमा तक भिन्न थे?

.....

.....

.....

.....

6) कृषि मजदूरी परिस्थिति उपर्युक्त (5) में उल्लिखित की तुलना में कृषि की दृष्टि से समृद्ध राज्यों, पंजाब, हरियाणा में कृषि मजदूरी पर स्थिति की तुलना कैसे की गई?

.....

.....

.....

.....

## 24.6 सारांश

NSSO अनुमान है कि भारत में 2004-05 में कुल 253 मिलियन कृषि कामगारों में कृषि श्रमिकों की संख्या 34 प्रतिशत (87 मिलियन) है। कृषि श्रमिकों को कार्य की घटिया दशा से विभेद किया जाता है और परिणामतः ये घोर गरीबी से ग्रस्त होते हैं। वे सभी असंगठित क्षेत्र में हैं जिसमें विनियमन या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का अभाव है। इस दशा को अनुभव करते हुए सरकार ने उनकी मजदूरी और स्वरोजगार अवसर बढ़ाने के लिए समय-समय पर कई कार्यक्रम प्रारंभ किए। समय-समय पर संचालित मूल्यांकन अध्ययनों ने उनकी सफलता और विफलता प्रकट की । इन जानकारियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कई नए उपाय किए। स्वतंत्रता के बाद पिछले छह दशकों में शुरू किए गए इन उपायों के बावजूद, अभी भी कृषि कामगार पर्याप्त काम तलाशने तथा हाथ के काम के लिए सांविधिक न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने में मजबूरियां झेल रहे हैं। कृषि/कृषीत्तर सेक्टर में कार्यों और लिंग के आधार दी गई मजदूरी में असमानता है।

## 24.7 शब्दावली

**कृषि श्रमिक** : निम्नलिखित व्यवसायों में से किसी में भी नकद या वस्तु में दी गई मजदूरी के लिए अपने हाथ से कार्य करने वाला व्यक्ति (i) खेती, जोताई आदि सहित कृषि कार्य, (ii) डेयरी कार्य, (iii) उत्पादन, खेती और बागवानी पण्यवस्तुओं की कटाई, (iv) पशुपालन, मधुमक्खी या कुक्कुट पालन, और (v) वानिकी शहतीर बनाना, भंडारण/बाजार तक वितरण या विपणन के लिए परिवहन।

**मजदूरी रोजगार** : वे कार्य जो पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर कार्य करने पर कार्यानुसार दर या वेतन (प्रशिक्षण भुगतान सहित) देता है। ऐसे काम दैनिक या आवधिक रूप से नवीकृत ठेका कार्य नहीं है।

**अनियमित मजदूरी रोजगार** : वे कार्य जिनमें भुगतान दैनिक या ठेके की अवधि के अनुसार देते हैं। ये सरकारी एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक कार्यों पर निर्भर हैं। उन्हें सार्वजनिक कार्यों में अनियमित श्रमिक और अन्य प्रकार के कार्यों में अनियमित श्रमिक कहा जाता है।

## 24.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1) Agriculture Statistics at a Glance-2011, Table 2.3(1), Directorate of Eclonomics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, GoI, 2012.

2) Bhalla, G.S. (2008), Condition of Peasantry, National Book Trust, New Delhi.

3) Government of India (2011), Faster, Sustainable and More Inclusive Growth : An Approach to the Twelth Five Year Plan, Planning Commission, October, New Delhi. pp 67-68.

4) Labour Bureau (2010), Report on Employment and Unemployement Survey (2009-10), GoI, Chandigarh.

5) Mukesh, E. (et al.) (2009), Sectroal Labour Flows and Agricultural Wages in India, 1983-2004: Has Growth Tricked Down? EPW, January 10, pp 46-55.

6) National Statistical Commission (NSC), Report of the Committee on Unorganised Sector Statistics (Chairman : R. Radhakrishna), GoI, February, 2012.

7) National Commission for Enterprises in the Unorganises Sector (NCEUS) (2007), Report on Conditions of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganised Sector, Chapter 8 on Agricultural Labourers, pp 122-124.

8) Papola, P.S. (2010), Livelihood in Agriculture – Status, Policies and Prospects in State of India's Livelihoods Report 2010 (Ed. By Shankar Datta and Vipin Sharma), sage-Access.


## 24.9 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

**बोध प्रश्न 1**

1) देखिए भाग 24.1 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए भाग 24.1 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए भाग 24.1 और 24.2 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 24.2.1 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 24.2.2 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 24.2.3 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 24.2.3 और उत्तर दीजिए।

8) देखिए उपभाग 24.2.3 और उत्तर दीजिए।

9) देखिए उपभाग 24.2.4 और उत्तर दीजिए।

10) देखिए उपभाग 24.2.4 और उत्तर दीजिए।

11) देखिए उपभाग 24.2.4 और उत्तर दीजिए।

12) देखिए उपभाग 24.2.4 और उत्तर दीजिए।

**बोध प्रश्न 2**

1) देखिए उपभाग 24.3.1 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए उपभाग 24.3.1 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए उपभाग 24.3.1 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 24.3.2 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 24.3.3 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 24.3.3 और उत्तर दीजिए।

**बोध प्रश्न 3**

1) देखिए उपभाग 24.4.1 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए उपभाग 24.4.2 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए उपभाग 24.4.2 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 24.4.2 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 24.4.2 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 24.4.3 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 24.4.4 और उत्तर दीजिए।

8) देखिए उपभाग 24.4.5 और उत्तर दीजिए।

9) देखिए उपभाग 24.4.5 और उत्तर दीजिए।

10) देखिए उपभाग 24.4.6 और उत्तर दीजिए।

11) देखिए उपभाग 24.4.7 और उत्तर दीजिए।

**बोध प्रश्न 4**

1) देखिए उपभाग 24.5.1 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए उपभाग 24.5.1 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए उपभाग 24.5.1 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 24.5.2 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 24.5.2 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 24.5.2 और उत्तर दीजिए।